Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 35-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2019 (PHALGUNA 3, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 22nd February, 2019

No. 09-HLA of 2019/14/3864.— The Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 09- HLA of 2019

THE PUNJAB COURTS (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2019

A

BILL

further to amend the Punjab Courts Act, 1918, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Punjab Courts (Haryana Amendment) Act, 2019. Short title.

2. In the Punjab Courts Act, 1918 (hereinafter called the principal Act), for the words, signs, figures and brackets,- Amendment of certain sections of Punjab Act 6 of 1918.

"Civil Judge (Senior Division Cadre) at intermediary level:-

(i) Senior Civil Judge;

(ii) Upper Senior Judge;

(iii) Superior Senior Judge; and

Civil Judge (Junior Division Cadre) at entry level:-

(i) Civil Judge;

(ii) Civil Judge, Grade II;

(iii) Civil Judge, Grade I; and

Civil Judges (Senior Division Cadre) at intermediary level:-

(i) Senior Civil Judges;

(ii) Upper Senior Judges;

(iii) Superior Senior Judges; and

Civil Judges (Junior Division Cadre) at entry level:-

(i) Civil Judges;

(ii) Civil Judges, Grade II;

(iii) Civil Judges, Grade I.",

the words, signs and brackets "Civil Judge (Senior Division); Civil Judge (Junior Division); Civil Judges (Senior Division); Civil Judges (Junior Division)." shall respectively be substituted.

Substitution of section 18 of Punjab Act 6 of 1918.

3. For section 18 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"18. Classes of Courts.- Besides the Courts of Small Causes established under the Provincial Small Cause Courts Act, 1887 and the Courts established under any enactment for the time being in force, there shall be the following classes of Civil Courts, namely:-

1. The Court of District Judge;
2. The Court of Additional District Judge;
3. The Court of Civil Judge (Senior Division);
4. The Court of Civil Judge (Junior Division).".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Hon'ble Punjab and Haryana High Court, Chandigarh has been pleased to recommend to the Government of Haryana to cancel/substitute the notification dated 12.03.2004 regarding amendment in the Section 18 of Punjab Courts Act, 1918, to change the nomenclature of the Civil Judge in the State of Haryana.

Earlier, in the matter of All India Judges Association and others Versus Union of India and others in Writ Petition (Civil) No. 1022 of 1989 the Hon'ble Supreme Court of India, New Delhi had directed to change the nomenclature of Civil Judges. In compliance with the direction in the said case, Punjab and Haryana High Court had recommended to change the nomenclature of the Civil Judge in this State of Haryana and the State Government has notified the same *vide* its notification dated 12.03.2004.

Now, the Hon'ble High Court has informed that the present nomenclatures of Civil Judges are simple as compared to the nomenclatures of Civil Judges suggested by the First National Judicial Pay Commission also known as Hon'ble Shetty Commission and has requested the State Government to substitute the notification dated 12.03.2004 regarding amendment the Section-18 of Punjab Courts Act, 1918, to change the nomenclature of the Civil Judge in this State of Haryana.

2. Hence this bill.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 22nd February, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 09-एच०एल०ए०

पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019
पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918,
हरियाणा राज्यार्थ, को आगे
संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है।

1918 का पंजाब अधिनियम 6 की कतिपय धाराओं का संशोधन।

2. पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) में,–

''सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मण्डल संवर्ग) मध्यस्थ स्तर परः–

(i) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश;

(ii) अपर वरिष्ठ न्यायाधीश;

(iii) उच्चतर वरिष्ठ न्यायाधीश; तथा

''सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ मण्डल संवर्ग) प्रवेश स्तर परः–

(i) सिविल न्यायाधीश;

(ii) सिविल न्यायाधीश, ग्रेड II ;

(iii) सिविल न्यायाधीश, ग्रेड I ; तथा

''सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ मण्डल संवर्ग) मध्यस्थ स्तर परः–

(i) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों;

(ii) अपर वरिष्ठ न्यायाधीशों;

(iii) उच्चतर वरिष्ठ न्यायाधीशों; तथा

''सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ मण्डल संवर्ग) प्रवेश स्तर परः–

(i) सिविल न्यायाधीशों;

(ii) सिविल न्यायाधीशों, ग्रेड II ;

(iii) सिविल न्यायाधीशों, ग्रेड I।'',

शब्दों, कोष्ठकों, अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, क्रमशः ''सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मण्डल); सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ मण्डल); सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ मण्डल); सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ मण्डल)'' शब्द, कोष्ठक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1918 का पंजाब अधिनियम 6 की धारा 18 का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''18. न्यायालयों की श्रेणियां.– प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887, के अधीन स्थापित लघुवाद न्यायालयों तथा तत्समय लागू किसी अधिनियमिति के अधीन स्थापित न्यायालयों के अतिरिक्त, सिविल न्यायालयों की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी, अर्थात् :–

(1) जिला न्यायाधीश का न्यायालय ;

(2) अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय ;

(3) सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मण्डल) का न्यायालय ;

(4) सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ मण्डल) का न्यायालय।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ने सिविल न्यायाधीशों के पद संज्ञा बदलने के लिए पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 18 के संबध में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 12.03.2004 को प्रतिस्थापित करने हेतु सिफारिश की हैं।

पहले अखिल भारतीय न्यायाधीश संगठन एवं अन्य बनाम केन्द्र सरकार व अन्य के मामले में सिविल याचिका क्रमांक 1022 आफ 1989 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों की पद संज्ञा बदलने के निर्देश दिये थे। उक्त याचिका में इन निर्देशों की अनुपालना में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 के अनुभाग 18 में राज्य के सिविल न्यायाधीशों की पद संज्ञा बदलने हेतु संशोधन करने की सिफारिश की थी तथा हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 12.03.2004 को जारी कर दी गई थी।

अब माननीय उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि सिविल न्यायाधीशों की वर्तमान पद संज्ञा, पहले राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा सुझाये गये सिविल न्यायाधीशों के नामावली की तुलना में सरल हैं इसलिए हरियाणा राज्य द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 12.03.2004 को प्रतिस्थापित किया जाए।

2. इसलिए यह बिल प्रस्तुत किया जाता है।

मनोहर लाल,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 22 फरवरी, 2019.

आर० के० नांदल,
सचिव।

56880—H.V.S.—H.G.P.,Chd.